31/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 81/2016 श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राम्हण निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर बनाम उपजिला कलक्टर (भू.अ.) शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

31—01—2017

अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी व उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2016 के द्वारा उपजिला कलक्टर (भू.अ.) शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा समय अवधि में उपलब्ध नही करवाई गई है। उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी से निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2016 के द्वारा उपजिला कलक्टर (भू.अ.) शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:—

> (1) गांव खांटा बरानी तहसील रायसिंहनगर मु0 119 व 120 अमरी बेवा भगवानाराम जाट राहड, आवंटन पत्रावली, आवंटन आदेश, तहसीलदार, पटवारी रिपोर्ट आवंटन संबंधी दस्तावेज।
>
> (2) जमाबन्दी सन 1928 संवत 1985 गिरदावरी
>
> (3) जमाबन्दी मय गिरदावरी अमरी बेवा भगवानाराम खुदकाश्त आवेदन के सलंग्न सुविधा हेतु सन 1928 की कच्ची जमाबंदी गंगानगर से प्राप्त आवेदन सलंग्न में लगाई गई है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ. शाखा) श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या एफ(9)(9)/भू.अ./रिकार्ड/3265 दिनांक 10.06.16 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:—

> (1) इस बिन्दु में प्रार्थी ने मु.न. 119 व 120 अमरी बेवा भगवानाराम जाति जाट राहड की आवंटन पत्रावली, आवंटन आदेश, तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट, आवंटन संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपियां चाही है। चूंकि आवंटन पत्रावली से संबंधित रिकार्ड जिला कार्यालय की भू.अ. शाखा में जमा नही होता, आवंटन संबंधित अधिकतर रिकार्ड उपजिला कलक्टर कार्यालय में जमा होता है। इस कारण इस रिकार्ड की सुनिश्चितता बाबत प्रार्थना पत्र की प्रति उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2564 दिनांक 25.04.2016 से भिजवा दी गयी थी। जिसकी प्रति सलंग्न है।
>
> (2) सन 1928 सम्वत 1985 की जमाबन्दी मय गिरदावरी गांव खांटा बारानी की इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र की प्रति रिकार्ड की सुनिश्चितता बाबत तहसीलदार रायसिंहनगर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2564 दिनांक 25.04.2016 से अग्रेषित कर दी गयी, जिसकी सूचना प्रार्थी को दे दी गयी थी। जिसकी प्रति सलंग्न है।

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

PTO

 अपील सूचना अ0अ0 संख्या 81/2016

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
81/2016

(3) जमाबन्दी मय गिरदावरी अमरी बेवा भगवानाराम खुदकाश्त आवेदन के सलंग्न सुविधा हेतु 1928 की कच्ची जमाबंदी लगाना बताया गया है। प्रार्थी जिस दस्तावेज को सन 1928 का कह रहा है यह जमाबन्दी रिकार्ड के अनुसार सम्वत 1992 की यानि कि सन 1935 की है। इसकी पुष्टि हेतु रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 1928 की नकल चाही गयी थी जिसे अभिलेखागार में तलाश करने पर भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नही हुआ इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्र कमांक 2564 दिनांक 25.04.2016 अधिनस्थ कार्यालय को भिजवा दिया गया था जिसकी प्रति सलंग्न है। अतः प्रार्थी की अपील खारिज की जानी उचित है।

लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ. शाखा) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनांओ का संबंध उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय से जिसकी सूचना भी अपीलार्थी को उनके द्वारा पत्र दिनांक 25.04.16 व 10.06.16 के द्वारा दी जा चुकी है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचनांओ का संबंध उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर से है। इसलिए अपीलार्थी को हिदायत की गई कि वह अपनी सूचनाओ के संबंध में संबंधित कार्यालय उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय में चाराजोही करे। यहां से अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ.शाखा) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर व तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

31-22
6-2-17

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर